भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3113

गुरूवार, 27 मार्च, 2025 / 06 चैत्र, 1947, (शक)

गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना

3113. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों की कुल संख्या का अनुमान लगाया है और यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के राज्य-वार और क्षेत्र-वार आंकड़ों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ई-श्रम पोर्टल पर कितने गिग श्रमिक पंजीकृत हैं और कितने प्रतिशत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं; और

(ग) ऐसे गिग श्रमिकों की संख्या कितनी है जो स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज या पेंशन संबंधी पहलों सहित केन्द्र अथवा राज्य द्वारा संचालित किन्हीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): नीति आयोग की जून 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट "भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" के अनुमान के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंधों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में दिया गया है जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

इस संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवरेज, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण, आदि से संबंधित उचित सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का उपबंध है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स के लिए एक एड्वाइज़री जारी की गई है कि वे स्वयं और उनसे जुड़े प्लेटफ़ॉर्म कामगारों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। इससे प्लेटफ़ॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों को प्राप्त करने में सुविधा होगी।

जारी..2/-

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम-'वन-स्टॉप-सोल्यूशन' भी शुरू किया है, जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना और उनके द्वारा अब तक प्राप्त किए गए लाभों को ई-श्रम पर देखने की सुविधा प्रदान करना है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गिग कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए, सरकार ने दिनांक 1.2.2025 को की गई अपने बजट घोषणा में उनका ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने, उनके पहचान पत्रों की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजॉय) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।
